संख्या 1958/पन्द्रह/17-94-74(9)/94

प्रेषक,

श्री एम०राम चन्द्रन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
(उच्च शिक्षा)
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

शिक्षा अनुभाग-17 लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 1994

विषय : क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण ।

महोदय,

उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद के पत्रांक डिग्री विकास/2696/94 दिनांक 27 जून, 1994 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उच्च शिक्षा विभाग के अधीन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के निम्नांकित कार्य एवं दायित्व निर्धारण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(क) प्रशासनिक कार्य

(1) महाविद्यालयों को प्रशासनिक जाँच एवं निरीक्षण सम्बन्धी कार्य ।

(2) महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की संस्तुति ।

(3) विधान सभा/विधान परिषद के प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराना ।

(4) नये विषय खोलने के लिए पैनल में शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि के रूप में महाविद्यालयों का निरीक्षण करना ।

(5) शासन द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा दिये गये विशेष कार्यों का सम्पादन ।

(6) अपने क्षेत्र के अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुज्ञा प्रदान करना ।

(7) शासन के आदेश पर महाविद्यालयों के खोले जाने हेतु क्लीयरेंस देने के लिये निरीक्षण करना एवं संस्तुति देना ।

(8) अशासकीय महाविद्यालयों को दिये गये अनुदान की उपभोग अवधि में एक वर्ष को सीमा तक वृद्धि करना ।

(9) बर्सर, पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कोआर्डिनेटर के पदों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करना ।

(10) अपने क्षेत्र में सभी अशासकीय महाविद्यालयों/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से नियत तिथि पर स्टाफ स्टेटमेंट प्राप्त करना तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सम्बन्ध में अधियाचन प्राप्त करके निदेशक को भेजना ।

(11) क्षेत्र के महाविद्यालय/स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों के पेंशन, कागजात तैयार करने के कार्य पर निगरानी रखना । सेवा निवृत्ति के छ: मास पूर्व समस्त पत्रादि निदेशक को उपलब्ध कराना ।

(12) अशासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण कराया गया या नहीं, पर शासन को आख्या भेजना ।

-------2/=

(ख) विकास/सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य

---

(1) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना, विश्लेषण करना तथा उन्हें संकलित करके निदेशालय को प्रेषित करना ।

(2) क्षेत्र में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण करना ।

(3) महाविद्यालयों में शैक्षिक कार्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों की सूचना एकत्र करना तथा संकलित करना ।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रकाशन निकालना ।

(5) राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की समीक्षा ।

(ग) वित्तीय कार्य

---

(1) महाविद्यालयों द्वारा 80/75 प्रतिशत शुल्काय जमा किये जाने की जाँच करना और उन महाविद्यालयों का बकाया वसूल करना जिन्होंने उचित अंश जमा न किये हों । समय-समय पर प्रगति की सूचना निदेशालय को देना ।

(2) ऋण छात्रवृत्ति की वसूली की समीक्षा करना तथा वसूली करने हेतु विधिक एवं न्यायिक कार्यवाही करना ।

(3) उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (अस्तियों) के अपव्यय का निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अस्तियों का लेखा रखना तत्सम्बन्धी जाँच करना ।

(4) उच्च शिक्षा निदेशालय/के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई सम्परीक्षा आख्या सहित निदेशालय को प्रेषित करना ।

(5) आपदा स्थित जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि के सम्बन्ध में क्षति का आकलन करना व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु निदेशालय को संस्तुति करना ।

(6) विभिन्न अनुदानों अनावर्तक अनुदानों से सम्बन्धित महाविद्यालयों के आवेदन एवं परीक्षण कर निदेशालय को उपलब्ध कराना ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्रों को महाविद्यालयों से प्राप्त करना तथा उनका सत्यापन कर निदेशालय को प्रेषित करना ।

(8) नई पेंशन योजनान्तर्गत सामान्य भविष्य निधि की कटौती तथा सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करना तथा उनके रख-रखाव को सुनिश्चित करना ।

(9) महाविद्यालयों का लेखा परीक्षण कराना ।

(10) पुस्तकालयाध्यक्ष/उपपुस्तकालयाध्यक्ष, वर्सर, कार्यालय अधीक्षक तथा को-आर्डिनेटर के पदों को छोड़कर शेष सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण तथा भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत करना ।

2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह का निरीक्षण आख्या अपनी संस्तुति सहित निदेशक, उ0 शि0 व शासन को अगले माह की 10 तारीख तक अवश्य करायेंगे ।

भवदीय,
एम0 राम चन्द्रन,
सचिव ।

अनु०सा०(स्वत०)

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री अर्थ/1989-2464/1988 दिनांक: 6 . 1988.

विषय:- रिक्त पदों के प्रति अनुज्ञा के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्रांक डिग्री अर्थ/2748-3154/1987 दिनांक 6-6-1987 में दिये गए निर्देशों को स्पष्ट एवं संशोधित करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि -

1- महाविद्यालय में एकल पदों को छोड़कर अन्य पदों के रिक्त होने की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने तक महाविद्यालय द्वारा यदि उस रिक्त पद की अनुज्ञा की माँग नहीं की गई है तो वह पद स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

2- यदि पद के रिक्त होने की तिथि के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा अनुज्ञा की माँग की गई है परन्तु तीन वर्ष तक मानक के अनुसार लगातार कार्यभार न होने के कारण अनुज्ञा नहीं प्राप्त हुई है तो वह पद भी स्वतः समाप्त समझा जाय।

3- यदि किसी रिक्त पद की अनुज्ञा दे दी गई है और महाविद्यालय द्वारा उस पर तीन वर्ष तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और तीन वर्ष उपरान्त उक्त पद पर महाविद्यालय प्रबन्ध करना चाहता है तो प्रबन्ध करने से पूर्व प्राप्त अनुज्ञा का सन्दर्भ देते हुए महाविद्यालय को उस अवधि में पद के प्रति नियुक्ति न करने का

कृ०प०उ०

कारण स्पष्ट करते हुए निदेशालय से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भवदीय,

डा० (के०एन०जोशी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०), उ०प्र०,
इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री अर्थ/1989-2461(1)/ उसी तिथि को।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।-

(1) प्रतिलिपि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर/लखनऊ।
(3) [illegible]
(4) गार्ड फाइल

डा० (के०एन०जोशी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०), उ०प्र०,
इलाहाबाद।

एस०एस०पंडित/-